भरत सिंह बनाम हंसराज
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 418/2016
सीआईएस नम्बर/सीआरसी/418/2016
अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881

दिनांक:- 16.07.2025

परिवादी की ओर से अधिवक्ता **श्री महेश पारीक** उपस्थित। अभियुक्त **हंसराज** का वारण्ट गिरफ्तारी अदम तामील लौट कर आया है। मफरूरी साक्ष्य में गवाह सीडब्ल्यू 01 श्री पूरणमल कांसटेबल नम्बर 607 पुलिस थाना कुचामन सिटी की साक्ष्य लेखबद्व की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध का प्रंसज्ञान लिया जाकर उसे वारण्ट जमानती से दिनांक 02.09.2016 को तलब किया गया है। उसके उपरान्त उसके द्वारा जमानत करवायी गयी परन्तु पेशी दिनांक 13.05.2025 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर उसके पूर्व के जमानत मुचलके जब्त कर उसे गिरफतारी वारण्ट से तलब किया गया। अभियुक्त जानबूझ कर प्रकरण में बचता फिर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त **हंसराज पुत्र श्री बंशीलाल, निवासी कोर्ट मोहल्ला, डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान** को मफरूर किया जाता है। **अभियुक्त का स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो।** अभियुक्त के विरूद्व धारा 82-83 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कार्यवाही भी आरम्भ की जावे। अभियुक्त के स्थाई गिरफतारी वारंट के पुलिस थाना कुचामनसिटी से दर्ज क्रमांक व दिनांक तलब किए जाकर आदेशिका पर अंकित किये जावे। पत्रावली में इस स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली अभियुक्त की मफरूरी मे फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। **पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर नोट अंकित हो कि अभियुक्त मफरूर है पत्रावली का कोई भाग नष्ट नही किया जावे।**

कामाक्षी मीणा
16.07.2025
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुचामन सिटी जिला : डीडवाना-कुचामन